

त्सवाने, दक्षिण अफ्रीका में कचरा बीनने वालों को संगठित करना : केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत अनुभवों से निकले सबक

मिलेनी सेमसन की रिपोर्ट पर आधारित सारांश

कचरा बीनने वाले त्सवाने (प्रिटोरिया) इलाके की लैंडफिल्स में कम से कम 30 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने रिसाइकिलिंग के प्रति नगरपालिका के बदलते रवैयों को बहुत पास से देखा है। उन्होंने कई बदलावों के खिलाफ संघर्ष किया है और बहुत सारे बदलावों का रास्ता खोला है। हर बदलाव से उनकी आजीविकाओं पर गहरे असर पड़े हैं। त्सवाने में कचरा बीनने के व्यवसाय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देते हुए इस पर्चे में इन बदलावों का ब्यौरा देने की कोशिश की गई है ताकि दूसरे कचरा बीनने वाले, नगरपालिकाएं तथा कचरा बीनने वालों की मदद करने वाले संगठन त्सवाने के मुख्य संघर्षों और कहानियों से सबक ले सकें। इस पर्चे में निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया है :



- कचरा बीनने वालों ने लैंडफिल्स में दाखिल होने के लिए किस तरह संगठित होकर लड़ाई की है।
- कचरा बीनने वालों की मदद के लिए चलायी जा रही नगरपालिका परियोजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम।
- अपने नेटवर्क बनाकर कचरा बीनने वाले प्रत्येक लैंडफिल में संगठनों का किस तरह सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं और नगरपालिकाओं व खरीदारों के साथ सौदेबाजी में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं।
- नेटवर्क के सामने अभी कौन सी चुनौतियां हैं।

पृष्ठभूमि

त्सवाने प्राहर दक्षिण अफ्रीका की प्रद्यासकीय राजधानी है। रंगभेदी धासन के दौरान त्सवाने इलाके में नस्ली तौर पर विभाजित 13 नगरपालिका परिचादें धासन करती थीं। अब यह पूरा इलाका एक नगरपालिका के तहत है। देश भर के दूसरे प्राहरों की तरह त्सवाने में भी बेरोजगारी दर बहुत ऊँची है। त्सवाने की आबादी लगभग 24 लाख है जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। एक चौथाई से भी ज्यादा लोग अनौपचारिक आवासों में रहते हैं। कुल मिला कर यहां ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास नियमित रोजगार जैसी कोई चीज नहीं है।

तकरीबन तीन चौथाई घरों से हर हफ्ते नगरपालिका द्वारा कचरा उठाया जाता है। नगरपालिका द्वारा इस सारे कचरे को 7 लैंडफिल्स में ले जाकर फेंक दिया जाता है। अब ये लैंडफिल तेजी से भरते जा रहे हैं। हाल ही में कुछ लैंडफिल्स को बंद भी कर दिया गया है। लिहाजा कचरा बीनने का व्यवसाय दो ट्रृटियों से फायदेमंद है : एक तो इससे ऐसे लोगों को भी थोड़ी-बहुत आय के साधन मिल जाते हैं जिनको पक्की नौकरी नहीं मिल पा रही है और इससे लैंडफिल्स को भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि रिसाइकिलिंग योग्य पदार्थों को लैंडफिल से बीनकर अलग कर दिया जाता है। इससे प्राहर का पैसा भी बचता है।



Women in Informal Employment
Globalizing and Organizing

नगरपालिका, खरीदार और कचरा बीनने वाले, सभी उन लोगों के लिए “रिक्लेमर” यानी उपयोगी चीजों को दोबारा ढूँढ़ने वाला व्यक्ति कह कर संबोधित करते हैं करते हैं जो लैंडफिल्स में से मूल्यवान और उपयोगी चीजें बीनकर निकालते हैं। जब कचरा बीनने वाले अंग्रेजी में बात करते हैं तो उनमें से कुछ लोग खुद को “वेस्ट पिकर्स” यानी कचरा बीनने वाला भी बताते हैं और खुद को फैलते राट्रीय आंदोलन के साथ जोड़कर देखते हैं। कई कामगार खुद को “बागारीसी” बोलते हैं जिसका मतलब होता है “ऐसा व्यक्ति जो किसी कीमती चीज की तलाश में हो” या “ऐसा व्यक्ति जो उपयोगी चीजें ढूँढ़ता है।” जैसा कि प्राहर के एक अफसर ने कहा, ये सारे प्राव्य इस काम के महत्व को इंगित करते हैं और इसे करने वालों के महत्व को दर्शाते हैं : “ये लोग प्रदिशिक्षित और माहिर होते हैं और वे बहुत ईमानदारी से कठोर मेहनत करते हैं। मेरा मतलब है कि आप उनकी अहमियत को कम करके नहीं आंक सकते। इस काम के प्रति आपके भीतर सम्मान होना चाहिए।”

प्रतिरोध से बदलावों की पुरुआत

कुछ साल पहले तक नगरपालिका कचरा बीनने वालों के काम से होने वाले फायदों को स्वीकार नहीं करती थी। नब्बे के दद्दक के मध्य तक ग्रेटर प्रिटोरिया मेट्रोपॉलिटन काउंसिल लैंडफिल्स पर रिसाइकिलिंग के

लिए निजी कंपनियों को ठेके दिया करती थी और कचरा बीनने वालों को अपना माल बहुत मामूली कीमत पर इन्हीं कंपनियों को बेचना पड़ता था। जब ठेकेदार अपना काम करके चले जाते थे तो कचरा बीनने वालों को अकसर लैंडफिल स्थलों में जाने से रोक दिया जाता था। तब वे बाड़ों को फांद कर चोरी-छिपे लैंडफिल्स में जाते थे और दिन निकलने से पहले या प्राम को अंधेरा होने के बाद ही अपना काम कर पाते थे। अगर वे नजर आ जाएं तो निजी सिक्योरिटी गार्ड उनको खेड़ते थे। पुलिस भी अकसर उनके द्वारा बीनी गई चीजों को जलाकर नट्ट कर देती थी। पुलिस इन सारी चीजों को चोरी का माल मानती थी।

लेकिन कचरा बीनने वाले जानते थे कि बदलाव सिर्फ तभी आ सकता है जब वे मिलकर विरोध करेंगे। मिसाल के तौर पर, उन्होंने अफ्रीकी नैदानिक कंपनी की स्थानीय प्राखा से लैंडफिल्स में जाने के लिए मदद मांगी। उन्होंने दलील दी कि वे लोग सिर्फ लैंडफिल्स से ही अपना गुजारा चला सकते हैं और नगरपालिका को उन्हें छूट देनी चाहिए ताकि वे अपने लिए रोजगार का जुगाड़ कर सकें। उन्होंने लैंडफिल्स के दोनों फाटकों को अवरुद्ध करने के लिए लकड़ी के लट्टे खरीदने के लिए पैसा भी जुटाया। दो हफ्ते के विरोध के बाद नगरपालिका तथा लैंडफिल को संभालने वाली कंपनी (कंपनी एक्स) ने कचरा बीनने वालों की एक निर्वाचित टीम और स्थानीय एनसी प्राखा के सदस्यों के साथ एक समझौता कर लिया।

नगरपालिका और कंपनी एक्स ने तय किया कि अगर कचरा बीनने वाले अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक समिति बनाने को तैयार हों और अपने काम के बारे में नियमों से चलने के लिए तैयार हों तो उन्हें लैंडफिल में जाने की छूट दी जा सकती है। नगरपालिका ने भी कंपनी एक्स को दूसरे लैंडफिल्स में जाने, वहाँ कमेटियां बनवाने और काम से संबंधित नियमों को दूसरे लैंडफिल्स के कचरा बीनने वालों के बीच भी फैलाने का ठेका दिया।

नगरपालिका परियोजनाएं : कचरा बीनने वालों के लिए मददगार?

नगरपालिका के पास औपचारिक रीसाइकिंग व्यवस्था नहीं थी इसलिए जब कचरा बीनने वाले लैंडफिल्स में काम करने लगे तो नगरपालिका के कर्ताधर्ताओं को भी ये समझ में आने लगा कि उनके लिए कचरा बीनने वाले कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि लैंडफिल ऑपरेटर्स के प्रमुख ने कहा था: “वे रीसाइकिंग तो करते ही हैं, आपको लैंडफिलिंग की बदबूदार हवा से भी बचाते हैं। वे जितना अच्छा काम करते हैं नगरपालिका का प्रदर्शन उतना ही सुधरता जाता है।”

सरकारी अधिकारियों ने ये भी महसूस किया कि अगर कचरा बीनने वालों को लैंडफिल में काम करने की छूट दे दी जाए तो वे गरीबी की रोकथाम करने और रोजगार पैदा करने के नगरपालिका के मक्सद में काफी मददगार हैं। लिहाजा, नगरपालिका ने तय किया कि “इन लोगों को मदद दी जाए और उन्हें उद्यमी बनाने और आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ाया जाए।” इसका मौका तब आया

जब राट्रीय पर्यावरण मामले एवं पर्यटन विभाग (डीईएटी) ने कचरा कामगारों को पैसा दिया ताकि कचरा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को रोजगार संवर्धन और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके।

रोजगार संवर्धन

इस परियोजना में सबसे पहले रीसाइकिंग योग्य पदार्थों से नए उत्पाद बनाने वाली नौकरियां पैदा करने का प्रयास किया गया। जो कचरा बीनने वाले लैंडफिल पर काम कर रहे थे और जो स्थानीय बेरोजगार लोग थे उनको कचरे से निकाली गई प्लास्टिक से हैंडबैग बनाने के लिए नौकरी पर रखा गया। लेकिन इन मजदूरों को काम पर रखने की लागत हैंड बैग की कीमत से कहीं ज्यादा साबित हुई। ऊपर से एक समस्या यह थी कि कचरे से प्लास्टिक की जो थैलियां निकाली जा रही थीं वे अक्सर बहुत गंदी होती थीं। इस तरह परियोजना के लिए स्थानीय सुपर मार्किट से प्लास्टिक की नई थैलियां खरीदी जाने लगीं। लेकिन ये रास्ता और भी महंगा था। इस विकल्प का इसलिए भी कोई औचित्य नहीं था क्योंकि परियोजना का मक्सद पुरानी चीजों का सदुपयोग करना था। इसके बाद परियोजना प्रबंधकों ने रीसाइकिंग के लिए कांच को इकट्ठा करने, पीसने और बेचने पर ध्यान दिया लेकिन यहाँ भी लाभ के मुकाबले लागतें ऊंची साबित हुईं। इन परियोजनाओं को आखिरकार बंद कर दिया गया और जो लोग इन परियोजनाओं में स्थिर तनखावां हैं और अच्छी कार्य परिस्थितियों पर निर्भर रहने लगे थे वे रातों रात फिर बेरोजगार हो गए और उन्हें कोई उचित मुआवजा नहीं मिला।

बाईं-बैक सेंटर (खद्दी खरीदने की दुकान) का निर्माण और प्रदूषकण नगरपालिका ने जल्दी ही यह फैसला ले लिया कि अगर कचरा बीनने वालों को उसी काम में मदद दी जाए जिसे वे कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस कंपनी ने नगरपालिका को इस बात के लिए तैयार किया था कि वह कचरा बीनने वालों को लैंडफिल्स में आने दे, उसी कम्पनी एक्स ने एक नया प्रस्ताव पेश किया। कंपनी ने दलील दी कि अगर कचरा बीनने वाले अपनी चीजों को अच्छी तरह साफ करें और उनकी ठीक से छंटाई करें तो उनको ज्यादा कीमत मिल सकती है। कंपनी ने कहा कि डीईएटी से आए बाकी पैसे को लैंडफिल्स के आसपास बाईं-बैक सेंटरों के निर्माण पर खर्च किया जाए ताकि कचरा बीनने वाले वहाँ आसानी से कचरे की छंटाई करके उसे बेच सकें और ज्यादा कीमत पा सकें। कंपनी एक्स ने ये भी कहा कि कचरा बीनने वालों को इस बात का प्रदूषकण दिया जाना चाहिए कि कचरे को बीनने, उसकी छंटाई करने और चीजों को साफ करने का सही तरीका क्या है। कंपनी ने कहा कि इन मजदूरों को कोऑपरेटिव बाईं-बैक सेंटरों को चला सकें। इस काम का जिम्मा भी कंपनी एक्स को ही दे दिया गया।

कागजों में ये सारी बातें बहुत सुंदर लगती हैं लेकिन कंपनी एक्स भी केवल कचरा बीनने वालों के फायदे के लिए काम नहीं कर रही थी। उसने कचरा कामगारों को जो प्रदूषकण दिया वह बहुत सारे कचरा बीनने वालों के लिए उपयोगी ही नहीं था। इस कंपनी

के तहत काम करते हुए कचरा बीनने वालों को ये भी लगने लगा कि परियोजना पर कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत है। बहुत सारे कचरा बीनने वालों ने बताया कि उनको ऐसा लगने लगा था कि बाई-बैक सेंटरों की मालिक यही कंपनी है। कचरा बीनने वालों को अब ये नहीं लग रहा था कि वे इस विधाल ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी एक्स के प्रबंधक ने उनको धमकी दी थी कि अगर वे उसके तौर-तरीकों पर सवाल उठाएंगे तो उन्हें लैंडफिल में आने से रोक दिया जाएगा। कागजों में तो एक कोऑपरेटिव बन गया था लेकिन हकीकत में इस कोऑपरेटिव का कोई अस्तित्व नहीं था।

ये हैरानी की बात नहीं है कि समुचित प्रदिक्षण और सहायता के बिना कचरा बीनने वाले बाई-बैक सेंटरों को सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। नगरपालिका ने तय किया कि उसे इन सेंटरों को संभालने के लिए कंपनी की जरूरत है और फौरन ही कंपनी एक्स को ये काम सौंप दिया गया। लेकिन कंपनी एक्स भी तो आखिरकार एक कचरा प्रबंधन कंपनी ही थी। उसे तो केवल रीसाइकिलिंग योग्य पदार्थों को खरीदने में दिलचस्पी थी। दूसरी कंपनियों ने यह कहकर इस समझौते का विरोध किया कि अगर कंपनी एक्स बाई-बैक सेंटरों को चलाने में कचरा मजदूरों को मदद देगी तो वह कीमतों और बाई-बैक बाजार पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। हितों के इस टकराव को हल करते हुए नगरपालिका ने जरूरी सावधानी नहीं बरती : कंपनी एक्स से गहरे संबंध रखने वाली एक और कंपनी (वाई) को ठेका दे दिया गया। कंपनी वाई ने उसी प्रबंधक को काम पर रख लिया जिसने पहले मजदूरों की कमेटियां बनाई थीं और जो इन मजदूरों को धमकियां दिया करता था।

यह परियोजना फिर नाकाम हो गई क्यांकि कंपनी एक्स और वाई, दोनों ही कचरा कामगारों और बाई-बैक सेंटरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। जैसा कि एक नगरपालिका अधिकारी ने बाद में कहा, कंपनी एक “गुरिल्ला रणनीति” अपना रही थी: “वे लैंडफिल्स पर पूरी इजारेदारी चाहते थे ताकि उसका सारा फायदा उठा सकें। इसका मतलब है कि कचरा बीनने वालों को तो लै-देकर उन्हीं को चीजें बेचनी थीं।”

कचरा कामगार इस बात से बहुत खफा थे कि उनकी मदद के लिए शुरू की गई एक परियोजना के नाम पर उन्हीं को एक बड़ी कंपनी के चंगुल में कैद कर दिया है। उन्होंने नगरपालिका दफ्तरों के बाहर धरने दिए। फलस्वरूप कंपनी एक्स को दिया गया हेंदरली लैंडफिल के प्रबंधन का ठेका रद्द कर दिया गया और उसका वह कुछ्यात प्रबंधक फरार हो गया। जल्दी ही बाई-बैक सेंटरों पर खरीदारों ने अपना नियंत्रण बना लिया। जैसा कि बाद में नेटवर्क की स्थापना से पता चला, नगरपालिका को ये गलतफहमी थी कि कचरा बीनने वाले अपने बाई-बैक सेंटर या कोऑपरेटिव नहीं चला सकते। नगरपालिका का कहना था कि कचरा कामगारों की मदद के लिए अब उसके पास कोई विचार नहीं बचे हैं।

नगरपालिका फिर से कचरा कामगारों को स्वतंत्र मजदूरों की तरह देखने लगी लेकن अब उन्हें लैंडफिल में काम करने की छूट मिल गई थी। नगरपालिका ने कचरा कामगारों को अपना सामान

सबक और नए रास्ते

कचरा कामगारों के साथ काम करने की नगरपालिका की इन शुरुआती कोदिदादों से कई महत्वपूर्ण सबक निकले हैं भले ही परियोजना नाकाम हो गई हो:

- अगर रीसाइकिलिंग परियोजनाओं को कचरा कामगारों के लिए स्थिर, सुरक्षित आय जुटानी है तो वे सिर्फ रीसा-इकिलिंग योग्य पदार्थों या उनसे बनी चीजों की बिक्री पर ही निर्भर नहीं रह सकते।
- क्योंकि वे हवा को साफ रखने और लैंडफिल्स की उम्र बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इसलिए कचरा कामगारों को नगरपालिका की तरफ से पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
- अगर नगरपालिका कचरा कामगारों को अपना कर्मचारी नहीं बना सकती है या नहीं बनाती है या कचरा कामगार नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो नगरपालिका को उनके साथ अपने लाभों का नित्पक्ष बंटवारा करना चाहिए:
- मिसाल के तौर पर, डायडेमा, ब्राजील में कचरा कामगार कोऑपरेटिवों को रीसाइकिलिंग योग्य पदार्थों के प्रति टन भार के हिसाब से वही राशि मिलती है जो लैंडफिल में कचरा डालने के लिए कचरा निस्तारण कंपनियों को मिलती है।
- नगरपालिका को निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कचरा कामगारों द्वारा नियंत्रित और लोकतांत्रिक कोऑपरेटिवों को फलने-फूलने में मदद देनी चाहिए:
 - ऐसे स्वतंत्र संगठन ढूँढ़े जाएं जिनके पास कचरा कामगारों के कोऑपरेटिव बनाने का अनुभव हो।
 - रीसाइकिलिंग और कचरा उद्योग के विद्येशों को सिर्फ जरूरत के समय बुलाया जाए।
 - ऐसी प्रक्रियाएं विकसित की जाएं जो मजदूरों को कोऑपरेटिव चलाने की क्षमता बढ़ाने में मदद दें।
 - इस बात पर और ध्यान दिया जाए कि कचरा कामगार खुद को कैसे संगठित कर सकते हैं।
 - इस बात के लिए मदद दें कि कचरा कामगार खुद संगठन बनाएं और खुद चलाएं।

जमा करने के लिए झुग्गियां बनाने की भी छूट दे दी। इससे उन्हें सर्दी-गर्मी से कुछ राहत मिली। एक जगह नगरपालिका ने उन्हें अपने सामान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखने की भी छूट दे दी। इसके बदले में नगरपालिका चाहती थी कि कचरा कामगार सुरक्षा संबंधी बुनियादी नियमों का पालन करें और लैंडफिल स्थल पर दिन में एक ही बार कचरा बीनने जाएं। दूसरी तरफ, कचरा कामगारों का कहना था कि वे लैंडफिल में

से इस्तेमाल लायक चीजें निकाल कर प्राहर की मदद कर रहे हैं। क्योंकि वे नगरपालिका के कर्मचारी नहीं हैं इसलिए उनसे कूदा उठाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हालांकि नगरपालिका यह तो चाहती थी कि कचरा बीनने वाले सफाई का काम करें लेकिन उसने उनको अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया और उन्हें ओवरऑल, दस्ताने और सुरक्षात्मक जूते आदि सुरक्षा उपकरण देने से भी मना कर दिया। इससे कचरा कामगारों के लिए आमक और अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।

त्सवाने नेटवर्क की स्थापना - स्वतंत्रता की प्रुरुआत

नगरपालिका परियोजनाओं के फलस्वरूप कचरा बीनने वालों ने खुद को संगठित करने की यात्रा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए :

- लैंडफिल्स तक नियमित पहुंच का रास्ता खुला।
- कचरा कामगारों द्वारा संचालित कमेटियां गठित की गईं।
- नगरपालिका परियोजनाओं से संबंधित संयुक्त बैठकों में लैंडफिल्स कमेटियों के बीच संबंध बनने लगे।
- कमेटियों और खरीददारों तथा कमेटियों और नगरपालिका के बीच अच्छे संबंध बनने लगे।

नगरपालिका की परियोजना धराधारी हो जाने के बाद भी कचरा कामगार अपने हालात में सुधार के लिए लैंडफिल्स कमेटियों में काम करते रहे। 2009 में कचरा कामगारों ने सारी लैंडफिल्स कमेटियों को मिलाकर एक नगरव्यापी नेटवर्क बनाया। पहले ही साल में इस नेटवर्क को निम्नलिखित कामयाबियां मिलीं :

- खरीददारों से खुलकर बात करना।
- कोऑपरेटिवों का गठन।
- सूचनाओं का अदान-प्रदान और संगठन निर्माण।
- एक साझा मंच का गठन।

नेटवर्क फाउंडेशन : लैंडफिल्स कमेटियों की स्थापना

यह नेटवर्क त्सवाने के सातों सरकारी लैंडफिल्स और एक निजी लैंडफिल्स की कमेटियों के सदस्यों को लेकर बनाया गया था। ये कमेटियां अनौपचारिक रूप से काम करती हैं। उनके नियमित चुनाव नहीं होते और न ही उनका कोई संविधान है जिसमें यह कहा गया हो कि वे क्या करती हैं और कैसे करती हैं। इसके बावजूद ये काफी मजबूत ताकतें हैं जो लैंडफिल्स पर ज्यादातर कचरा कामगारों की मदद करती हैं। ये कमेटियां आमतौर पर निम्नलिखित ढंग से बनाई गई हैं:

- उनमें 11 से 16 सदस्य होते हैं।
- उनका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सचिव, उप-सचिव और कोटाध्यक्ष होता है।
- उनमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होती है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के काम बटे हुए हैं।
- आमतौर पर उनके अध्यक्ष बूढ़े पुरुष हैं क्योंकि यह धारणा अभी भी प्रचलित है कि उनके पास एक परंपरागत अधिकार है जिससे वे फैसलों को मनवा सकते हैं।

- महिलाएं सहायकों या सामान्य सदस्यों के रूप में काम करती हैं।
- विदेशी/बाहरी कामगारों को प्रायः कमेटियों से बाहर रखा जाता है।

कमेटी सदस्यों ने कई कारण बताएं कि वे कमेटियों में काम करने को क्यों इच्छुक हैं :

- लैंडफिल्स के लिए ऑर्डर लाने के लिए।
- हक्कों और बेहतर हालात की लड़ाई लड़ने के लिए।
- भ्रद्याचार की रोकथाम के लिए।
- जिम्मेदाराना ढंग से काम करने के लिए।
- निम्नलिखित नए कौदाल अर्जित करने के लिए।
 - औरें के साथ काम करने का कौदाल।
 - बहुत सरे लोगों के लिए बात करने का कौदाल।
 - अग्रेजी में सुधार।
 - बच्चों के स्कूल जैसी दूसरी संस्थाओं के साथ बात करने के लिए आत्मविद्वास की आवश्यकता।

कमेटियों ने निम्नलिखित मुख्य काम तय किए हैं:

- हिंसा, चोरी, प्रारब्धाचारी और नदीली दवाओं के सेवन को रोक कर सुरक्षित रोजगार और व्यवस्थित वातावरण विकसित करना। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :
 - इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लोग लैंडफिल्स में आने वाले ट्रकों को नुकसान न पहुंचाएं और चोरी न करें।
 - महिलाओं को परेशान न किया जाए।
 - रात में सामान की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात करना।
- हालांकि इन मजदूरों को भी लैंडफिल्स में दाखिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा था लेकिन अब वे लैंडफिल्स में नए लोगों को नहीं आने देना चाहते। इसके लिए वे नवांगतुकों के खिलाफ मारपीट के लिए भी तैयार हैं। गौरतलब है कि कचरा बीनने वालों को नए मजदूरों को न आने देने और उनके खिलाफ मारपीट के इस्तेमाल जैसे नियमों पर गंभीरता से सोचना चाहिए।
- नगरपालिका से औपचारिक मान्यता पाना और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए दबाव बनाना।
- निम्नलिखित के जरिए नए खरीददार ढूँढ़ना और सही कीमतें तय करना :
 - ट्रकों के पीछे लिखे नंबर नोट करने जैसी रचनात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल।
 - कीमतों के बारे में दूसरे लैंडफिल्स के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करना ताकि सभी जगह के कचरा कामगार खरीददारों से एक ही तरह बात कर सकें।

कमेटियों की एकजुटता : नेटवर्क का गठन

कचरा कामगार खरीददारों से बेहतर कीमत मांग सकते हैं, इस बात की जरूरत ने त्सवाने नेटवर्क को जन्म दिया है। यह नेटवर्क दो मुख्य चिंताओं के इर्द-गिर्द संगठित किया गया है :

- वैद्यक आर्थिक संकट के कारण कीमतों में आ रही गिरावट
 - लैंडफिल्स कमेटियों जानना चाहती थी कि क्या सिर्फ उन्हीं के

- लैंडफिल में कीमतें गिर रही हैं या सभी लैंडफिल स्थलों पर कीमतें गिरती जा रही हैं।
- खरीददार अलग-अलग लैंडफिल्स पर अलग-अलग कीमतें चुकाते हैं और कचरा बीनने वालों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं।

जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ता गया उसमें नगरपालिका के साथ बात करने और खास लैंडफिल्स की समस्याओं को दूर करने के लिए चर्चा भी शुरू होने लगी। मिसाल के तौर पर, एक पुरुष कचरा कामगार लगातार महिलाओं को परेशान कर रहा था जबकि लैंडफिल कमेटी उसको रोकने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। ऐसे में नेटवर्क में एक बहस हुई और यह तय किया गया कि उस व्यक्ति को लैंडफिल पर काम करने से रोक दिया जाए। इस फैसले के बाद उसने अपना बोरिया-विस्तर समेटा और वह वहां से चला गया। तब से नेटवर्क में फैसले लेने और उनको लागू करने की एक स्पष्ट व्यवस्था पैदा हो चुकी है।

इस नेटवर्क की महीने में एक दिन बैठक होती है और हर बैठक अलग-अलग लैंडफिल्स पर बुलाई जाती है ताकि नेटवर्क के सभी प्रतिनिधि अलग-अलग जगह के हालात को देख सकें और हर लैंडफिल के अनुभवों के साथ-साथ ऐसे कचरा कामगारों से भी मिल सकें जो कमेटी में नहीं हैं। प्रत्येक लैंडफिल के कचरा कामगार अपने प्रतिनिधियों के आने-जाने की लागतों की भरपाई के लिए चंदा देते हैं और मेजबान लैंडफिल स्थल के कचरा कामगार मीटिंग में आए प्रतिनिधियों के नाम्हते और लंच के लिए पैसा और समय देते हैं।

खरीददारों से आमना-सामना

खरीददार उनके माल की कीमत बढ़ाएं और लैंडफिल्स को आपस में लड़वाना बंद करें - इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेटवर्क ने खरीददारों के साथ कई बैठकें की हैं।

- नेटवर्क की बैठकों में सूचनाओं का आदान-प्रदान और मार्केटिंग, अलग-अलग लैंडफिल्स पर सक्रिय कचरा कामगारों ने नए खरीददार ढूँढ़ने में एक दूसरे की मदद की है।
- नेटवर्क ने निम्नलिखित पद्धतियों से सीधे खरीददारों के साथ कीमतों पर मोलभाव के प्रयास किए हैं :
 - साझा न्यूनतम कीमतें तय करके।
 - खरीददारों को भी मीटिंग में एक समूह के रूप में आमंत्रित करके।

कचरा कामगार जानते हैं कि 2008-09 के वैद्यिक आर्थिक संकट की वजह से उनकी आमदनी में कितनी भारी गिरावट आई थी। इस संकट की वजह से उनको घर छोड़ने पड़े, उनकी पानी और बिजली की आपूर्ति अस्त-व्यस्त हो गई और बहुत सारे बच्चों को अपने बच्चे स्कूल से निकालने पड़े क्योंकि वे फीस नहीं दे सकते थे। लिहाजा नेटवर्क ने तय किया कि खरीददारों से बेहतर कीमत मांगी जाए। नेटवर्क ने एक बैठक में त्सवाने लैंडफिल में सक्रिय सबसे बड़े 5 खरीददारों को मीटिंग के लिए बुलाया। यहां नेटवर्क के लोगों ने खरीददारों से पूछा कि वे इतनी कम कीमत क्यों देते हैं। उन्होंने खरीददारों को यह भी बताया कि उनकी राय में सही कीमत क्या होनी चाहिए। जब खरीददारों ने उनके सुझाए दामों को

नहीं माना तो नेटवर्क ने वक्ती तौर पर खरीददारों द्वारा दी जा रही कीमतें मान र्तीं लेकिन इस बात पर जोर दिया कि खरीददार मिलकर तय करें कि वे कीमतों में किस तरह सुधार ला सकते हैं। इस बीच नेटवर्क बेहतर कीमत देने वाले नए खरीददारों की भी तलाश करता रहा। क्योंकि दूसरे खरीददार लैंडफिल्स से 90 प्रतिशत तक माल ले सकते हैं इसलिए नेटवर्क के इस रवैये से खरीददारों को काफी बेचैनी होने लगी।

मार्च 2010 तक खरीददारों ने अभी भी नेटवर्क की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और नेटवर्क ने भी फॉलोअप नहीं किया था। लेकिन खरीददारों के साथ मिलकर काम करने के नेटवर्क के इस तरीके से कई फायदे दिखाई देने लगे थे :

- कचरा कामगारों के बारे में खरीददारों की सोच बदली।
- खरीददार कचरा कामगारों को व्यावसायिक और मोलभाव के स्तर पर साझीदारों को गंभीरता से लेने लगे।
- नेटवर्क ने खरीददारों पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वे अपनी कीमतों का औचित्य बताएं इसलिए कचरा बीनने वालों को ये सीखने का मौका मिला कि उनका काम वैद्यिक अर्थव्यवस्था से किस तरह जुड़ा हुआ है और वैद्यिक अर्थव्यवस्था से कैसे प्रभावित होता है।
- जब कचरा कामगारों ने ये जान लिया कि खरीददार उनके काम की मेहनत और लागत को कितना कम आंकते हैं तो उनका ये विद्वास और पुख्ता हो गया कि उन्हें कोऑपरेटिव बनाने चाहिए, उन्हें गाड़ियां और औजार जुटाने चाहिए और अपना माल सीधे मेन्युफैक्चर कंपनियों को बेचना चाहिए।

कोऑपरेटिवों का गठन

कचरा कामगार त्सवाने नेटवर्क के गठन से पहले कुछ मौकों पर मिलकर काम कर चुके थे और एक लैंडफिल में तो उन्होंने कोऑपरेटिव बनाने का प्रयास भी किया था। बहरहाल, सामूहिक संगठन और बिचौलियों से आजादी की संभावना के बारे में नेटवर्क में चली चर्चाओं से प्रेरित होकर ऑडेस्टेपूर्ट लैंडफिल के कचरा कामगारों ने आग्यिकार कोऑपरेटिव बनाने का फैसला ले लिया। उन्होंने कोऑपरेटिव को “थेबो रेकोपेन रीसाइक्लिंग” यानी “हां, हम सब रीसाइक्लिंग करते हैं” का नाम दिया। जनवरी 2010 में इस कोऑपरेटिव में 66 सदस्य थे। कोऑपरेटिव का मकसद था कि चीजें खरीदना जारी रखा जाए और चीजें बेचने की प्रुरुआत की जाए। एक ट्रक खरीदा जाए, एक गट्ठर बनाने वाली मशीन खरीदी जाए और जो मुनाफा होता है उससे एक ऐसी जगह की व्यवस्था की जाए जहां चीजें को जमा किया जा सकता हो। कोऑपरेटिव को यह भी उम्मीद है कि प्रत्येक कोऑपरेटिव सदस्य के नाम पर वे अलग-अलग खातों में पैस जमा करवा पाएंगे। फिलहाल प्रत्येक कचरा कामगार को इस आधार पर पैसा मिलता है कि उसने कितना माल मुहैया कराया है।

कोऑपरेटिव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नई गतिविधियों के लिए पैसा कहां से जुटाया जाए। कोऑपरेटिव इन चुनौतियों का सामना करने में रचनात्मक और काफी कामयाब साबित हुआ है। मिसाल के तौर पर, उसने कांच की चीजें का खरीददार ढूँढ़ने के लिए नेटवर्क के संपर्कों का इस्तेमाल किया। अब कोऑपरेटिव के सभी

सदस्य कांच की चीजें भी इकट्ठा करते हैं और बारी-बारी से उनको पीसते हैं। उन्होंने कांच की पहली बिक्री से मिले मुनाफे से एक तराजू खरीदी और स्लास्टिक खरीदना भी पुरुष कर दिया। उन्होंने एक महिला को काम पर रखा है जिसको चीजों को तोलने के लिए रोजाना 50 रुपये मिलते हैं। तोलने के बाद चीजों को थोक में खरीदारों को बेच दिया जाता है। अगली मुद्रिकल ये थी कि माल की ढुलाई का इंतजाम कैसे किया जाए क्योंकि अपने माल को खरीदारों तक ले जाने के लिए ट्रक के भाड़ में तकरीबन सारा मुनाफा खत्म हो जाता है।

ओंडेस्टेपूर्ट लैंडफिल की सरगर्मियों से दूसरी लैंडफिल कमेटियों को भी प्रेरणा मिली है और अब वे भी अपने कोऑपरेटिव बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे इस बारे में एक दूसरे से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं कि कोऑपरेटिव कैसे बनाया जाना चाहिए। वे दूसरे शहरों में बने कोऑपरेटिवों के अनुभवों पर भी ध्यान देते हैं जिनके बारे में उन्होंने साउथ अफ्रीकन नैशनल वेस्टपिकर्स नेटवर्क से पता चलता रहता है। तस्वारे नेटवर्क के कुछ नेता चाहते हैं कि सारे लैंडफिल्स के कोऑपरेटिवों को एक नगरव्यापी कोऑपरेटिव में एकजुट कर दिया जाए ताकि बिचौलियों का पूरी तरह खात्मा हो जाए।

सूचनाओं का आदान-प्रदान

इस नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में एक यह है कि अब सभी लैंडफिल स्थलों के मजदुरों के बीच सूचनाओं, अनुभवों और कौशल का खूब आदान-प्रदान होने लगा है। नेटवर्क में सूचनाओं के आदान-प्रदान के कई तरीके हैं:

- अनौपचारिक।
- बैठकों में नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय वार्ड समिति के प्रतिनिधि और स्थानीय राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आते हैं।
- सहयोगियों और शहर भर के कचरा कामगारों के इतिहास का आदान-प्रदान।

इन तरीकों से सूचनाओं का आदान-प्रदान करके कचरा कामगारों ने यह सीख लिया है कि समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाता है और नेटवर्क की ताकत के सहारे ऐसी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है जिनको लैंडफिल कमेटिया हल नहीं कर पाती हैं।

साझा मोर्चे का गठन

नेटवर्क की ताकत एक सामूहिक पहचान विकसित करने की बुनियादी प्रतिबद्धता और मिलकर काम करने के साझा मकसद से पैदा हुई है। नेटवर्क ने मिलकर कुछ नियम बनाए हैं जिससे यह प्रतिबद्धता सामने आती है। नीचे दिए गए ये नियम इस बात के बारे में हैं कि लैंडफिल्स पर कचरा कामगार कैसे और किन हालात में काम करेंगे :

- लैंडफिल्स में धाँति और एकता बनाए रखी जाए।
- कचरा कामगारों की कुशलता सुनिश्चित की जाए।
- नेता और कचरा कामगार वफादार हों।
- परस्पर विद्वास और भरोसे के साथ एक-दूसरे की मदद की जाए।
- कारों, गाड़ियों या ट्रकों को ये न कहा जाए कि कहाँ कचरा फेंकें।

- लैंडफिल्स पर प्राराब पीना या जुआ खेलना बंद है।
- दूसरे लैंडफिल्स के मुश्यियाओं की हैसियत, संस्थान, सत्ता और कामों का सम्मान किया जाए।
- लैंडफिल्स में बच्चों को न लाएं।

इस साझा पहचान से नेटवर्क को सारे लैंडफिल कामगारों की ओर से नगरपालिका के साथ बात करने का भी मौका मिलता है। नेटवर्क का दृढ़ विद्वास है कि नगरपालिका को कचरा प्रबंधन कार्यक्रम में इन कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता और सम्मान देना चाहिए। इसी क्रम में नेटवर्क ने निम्नलिखित मार्गें भी नगरपालिका को सौंपी थीं:

- निजी लैंडफिल बंद कर दिए जाएं और सारा कचरा नगरपालिका के कूड़ेदानों में आना चाहिए।
- नगरपालिका कामगार कूड़ेदान में कूड़ा पहुंचने से पहले उसमें से कोई भी पुनर्प्रयोग अथवा रीसाइक्लिंग योग्य पदार्थ न निकालें।
- नगरपालिका को चाहिए कि वह कचरा कामगारों को नाम पटिट्यां खरीद कर दे ताकि कचरा प्रबंधन व्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता मिले क्योंकि अगर वे इन कूड़ेदानों में काम नहीं कर रहे होते तो ये कूड़ेदान बहुत पहले ही भर चुके होते।
- नगरपालिका को उन्हें कैमरे देने चाहिए ताकि वे चिकित्सकीय कचरा फेंकने वालों की फोटो खींच सकें।
- नगरपालिका को प्रौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि फिलहाल जो प्रौचालय दिए गए हैं वे नाकाफी और गंदे हैं।
- नगरपालिका को बड़ी कंपनियों में रीसाइक्लिंग का काम करने वालों को कहना चाहिए कि वे कचरा बीनने वालों के साथ कूड़ेदानों में जाकर भी काम करें।
- नगरपालिका को चाहिए कि वह लोगों को कूड़ेदानों में जाने से रोके क्योंकि वे कचरा कामगारों के काम में व्यवधान डालते हैं और वे देखने की कोशिश करते हैं कि खरीदारों के पास कितना पैसा है और वे उन्हें लूट सकते हैं।

हालांकि नगरपालिका ने अभी तक इन मार्गों पर अपना जवाब नहीं दिया है लेकिन कचरा बीनने वालों को विद्वास है कि नेटवर्क नगरपालिका के साथ लगातार काम करता रहेगा और उनकी मार्गें मान ली जाएंगी।

अगली मुद्रिकलें

अगर नेटवर्क कचरा कामगारों की कार्य परिस्थितियों और जीवन में सुधार के लिए प्रयास जारी रखना चाहता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा:

- लैंडफिल पर लोकतांत्रिक संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए
 - संविधान बनाया जाए, नियमित चुनाव कराए जाएं और बैक खाते खुलाए जाएं ताकि भ्रटाचार और पारदर्शिता के संकट से निपटा जा सके।
 - कमेटियों का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए मांग व रणनीतियां तय की जाएं।

- लैंडफिल्स में काम करने वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाए; खरीददारों और नगरपालिका के साथ सफलतापूर्वक बात करने के लिए कचरा कामगारों को लैंडफिल्स में जातीय और राटट्रीय विभेदों से आजादी पानी होगी।
- सड़कों पर कचरा बीनने वालों के साथ एकजुटता के रास्ते निकालने होंगे। इसके लिए उन्हें नेटवर्क में प्राप्ति किया जा सकता है ताकि वे भी यह समझ सकें कि वे क्या कर सकते हैं और उनकी क्या भूमिका हो सकती है।
- ऐसे नए लोगों के साथ बात करने और काम करने के रास्ते ढूँढ़े जाएं जो लैंडफिल्स पर आकर काम करना चाहते हैं। उनके साथ हिंसा का रास्ता छोड़ा जाए।
- कामकाजी, टिकाऊ लौकतांत्रिक कोऑपरेटिव बनाना
 - ऐसे सरकारी संस्थानों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाएं जो कोऑपरेटिव बनाने में मदद देते हैं।
 - इन संस्थानों को पहुंच के भीतर और जवाबदेह बनाया जाए।
 - पैसे के रख-रखाव को संभालने और एक व्यावसायिक योजना तैयार करने के लिए मदद जुटाई जाए।
 - ये सीखा जाए कि औरें को सामूहिकता के फायदे कैसे समझाए जा सकते हैं।
 - सामूहिक पहचान, उद्देश्य और मार्गें तय की जाएं ताकि कोऑपरेटिव का काम एक ऐसी व्यापक राजनीतिक दृष्टि से जुड़ा हो जो सभी सदस्यों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट कर सके।
- नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करना
 - अगर नेटवर्क सदस्य मीटिंगों में हिस्सेदारी की वजह से काम पर नहीं जा पाते हैं तो उनको आर्थिक मदद दी जाए।
 - ये सीखने के लिए प्रयास किए जाएं कि प्राप्ति के साथ लगातार कैसे काम किया जाएगा और उद्देश्यों को कैसे साकार किया जाएगा।
 - नगरपालिका और उद्योग कैसे काम करते हैं, इस बात की समझ हासिल की जाए।
 - नगरपालिका के साथ संबंधों और संचार को औपचारिक व स्पष्ट स्वरूप दिया जाए ताकि कचरा कामगारों को यह पता हो कि जब उनके पास सही विचार, समस्याएं और सुझाव हों तो उनको कैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
- नेटवर्क के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करें
 - दीर्घकालिक उद्देश्यों और सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करें ताकि नेटवर्क फल-फूल सके और बढ़ सके।
 - अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों से लैस एक साझा राजनीतिक दृष्टि विकसित की जाए और उसको हासिल करने के लिए रणनीतियां विकसित की जाएं।

निट्कर्ट्टा

रंगभेदी प्राप्ति के समय से ही त्सवाने इलाके के कचरा कामगार ये साबित करते आ रहे हैं कि वे हानिकारक परिस्थितियों से जूझने में सक्षम हैं और तमाम मुदिकलों के बावजूद सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसी हुनर से उन्होंने नेटवर्क को जन्म दिया है। जैसे-जैसे यह नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है वैसे-वैसे इस बात की उम्मीद बनती जा रही है कि नगरपालिका पूरी तरह और ज्यादा सार्थक ढंग से कचरा कामगारों के संगठन व विकास को मदद देती रहेगी। इस तरीके से कचरा कामगार अपनी कहानी में स्वतंत्रता का एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं और दक्षिण अफ्रीका व दुनिया भर के कचरा बीनने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।

इस पाठ और मूल प्रकाशन का पीडीएफ संस्करण यहां देखें www.wiego.org या www.inclusivecities.org/toolbox.html

